

(5)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर ४ मध्यप्रदेश ४



C.C.B. 81

- 1 - ₹ ५०/- उपेन्द्रमणि पाण्डे उम ३५ वर्ष ,
बृंदा पुष्पमणि पाण्डे उम १९ वर्ष ,
४ सौ नारेन्द्र कुमार पाण्डे उम १२ वर्ष ,
४ दौ देवेन्द्र कुमार पाण्डे उम ८ वर्ष ,
४ छौ मानवती पाण्डे उम ५० वर्ष ,
पुत्रगण श्री भगवानदत्त
पाण्डे, नावालिंग बली
दारा - माता श्रीमती -
मानवती पाण्डे ।
- 2 - प्रेमदत्त पाण्डे उम ५० वर्ष तनय चक्रधर प्रसाद पाण्डे
सभस्त निवासी ग्राम पैपखरा, तहसील-अमरपाटन, जिला -
कतना ₹ ५० प्र०

193

बनाम

जनता ग्राम पैपखरा, आदिवासी वार्ड नं०-४ जरिये सरपंच ग्राम
पंचिकमी केमार रामाधोर तिंडे एवं अन्य ----- अनावेदकण
रुपैरुपी० गण०

17

अपील विलास आदेश श्रीमान न्यायालय
अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा
प्रकरण क्रमांक-५८/८६-८७ तिंडे दि०-
१७/१२/९३ अन्तर्गत धारा-४४ म०प्र०
कानून माल सं० १९५९ दृ.

3152 ७३
कोल्कटा
3152 ७३

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

- 1:- यह कि ग्राम पैपखरा के आदिवासी वार्ड नं०-४ जो
अब सामाजिक वार्ड घोषित हो चुका है के सदस्यों द्वारा सरपंच
एवं दंडाधत देवार के नाइबे ते जानकी द्वारा द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक –निगो 828 / 1993

उपेन्द्रमणि / जनता ग्राम पैपखरा

जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2015	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे। प्रकरण वर्ष 1993 से लंबित है। आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 18.07.2011 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 सदस्य